न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 91 / 2022

राजेश पुत्र चुन्नीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

––आवेदक

बनाम

1. सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं।
2. हरनारायण पुत्र रूघा, जाति ब्राहम्ण, हाल निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।
3. सज्जन पुत्र चुन्नीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।
4. अनिता पत्नी श्यामसुन्दर, जाति ब्राहम्ण, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।
5. प्रदीप पुत्र श्यामसुन्दर नवीरा चुन्नीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।
6. परिक्षित पुत्र श्यामसुन्दर नवीरा चुन्नीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।
7. विमल पुत्री श्यामसुन्दर पत्नी सतीश, जाति ब्राहम्ण, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं हाल आबाद कुड़ल तहसील लोहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।
8. सज्जन पुत्र रामकुमार, जाति जाट, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।
9. सूरजकौर पत्नी रामकुमार, जाति जाट, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
10. एस.बी.बी.जे. बैक शाखा कुहाड़वास, जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
11. भतेरी पत्नी चुन्नीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी जैतपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)।
12. उप पंजीयक, बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

––अनावेदकगण

– – –

अन्तरण प्रार्थना पत्र अः धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955

– – –

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 15:51:13 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री राजेश पूनिया, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक– [illegible] की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक सं0 1, 12 व 13 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण सं0 3 लगायत 6, 8 लगायत 10 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।
5. अप्रार्थीगण सं0 7 व 11 की तलबी बन्द।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

<u>आदेश</u>

दिनांक 09.11.2022

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है कि निम्न वर्णित वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में विचाराधीन है :—

उनवानी — राजेश बनाम हरनारायण
मु0नं0 — 144 / 2021
दावा बाबत — घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
आगामी पेशी — 07.03.2022

उक्त वाद पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 189 / 2022 में दिनांक 22.09.2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण मे दिनांक 18.02.2022 को आगामी पेशी दिनांक 2.5.2022 नियत की है। अनावेदक नं0 2 के द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अनावेदक नं0 1 पीठासीन अधिकारी ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में तारीख दिनांक 2.5.2022 से 7.3.2022 नियत कर दी। दिनांक 3.3.2022 को अनावेदक नं0 2 हरनारायण ने आवेदक को गांव में धमकी दी कि उसने पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं0 1 से बात पक्की करके नजदीक की तारीख ले ली है अब दिनांक 7.3.2022 को प्रकरण में स्थित स्थगन पीठासीन अधिकारी खारीज कर देगा तथा कुछ दिन बाद दावा भी खारीज कर देगा। अनावेदक नं0 2 की उपरोक्त प्रकार से धमकी से आवेदक को पक्का विश्वास हो गया हैं कि पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं0 2 व उसके राजनैतिक प्रभाव में दबाव में आ चुका है तथा उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी दबाव के चलते निष्पक्ष न्याय नही करेगा। निष्पक्ष न्याय का प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। इस कारण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरिम किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वाद पत्र मय स्थगन प्रा0 पत्र को उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी बुहाना से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने पत्रांक 129 दिनांक 11.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 1, 2 व 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 4 स्वीकार है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2022 नियत की गई थी। प्रार्थी हरनारायण द्वारा दिनांक 24.02.2022 को शीघ्र सुनवाई बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति / सूचना वादी / प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2022 को शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत् प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण किये जाने के पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ताओं की उपस्थिति मे प्रकरण आगामी तारीख पेशी 07.03.2022 नियत की गई है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 5 कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी का हरनारायण की धमकी देना वह उनका आपसी मामला है। स्वयं साक्ष्य पेश करें। शेष भाग मे अं[illegible] आधारहीन है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोह[illegible] प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य / दस्तावेज [illegible] है। उक्त प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विधिसम्मत् प्रार्थना पत्र की सुनव[illegible] जाकर प्रकरण आवश्यक प्रवृति का ध्यान मे रखकर उभय पक्षकारान् के अधिवक्ता [illegible] पेशी नियत की गई थी। प्रार्थना पत्र का खण्ड 6 व 7 कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आरटी एक्ट 1955 को खारीज फरमाये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 15:51:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 189/2022 में दिनांक 22.09.2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित प्रकरण मे दिनांक 18.02.2022 को आगामी पेशी दिनांक 2.5.2022 नियत की है। अनावेदक नं0 2 के द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अनावेदक नं0 1 पीठासीन अधिकारी ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में तारीख दिनांक 2.5.2022 से 7.3.2022 नियत कर दी। दिनांक 3.3.2022 को अनावेदक नं0 2 हरनारायण ने आवेदक को गांव में धमकी दी कि उसने पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं0 1 से बात पक्की करके नजदीक की तारीख ले ली है अब दिनांक 7.3.2022 को प्रकरण में स्थित स्थगन पीठासीन अधिकारी खारीज कर देगा तथा कुछ दिन बाद दावा भी खारीज कर देगा। अनावेदक नं0 2 की उपरोक्त प्रकार से धमकी से आवेदक को पक्का विश्वास हो गया हैं कि पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं0 2 व उसके राजनैतिक प्रभाव में दबाव में आ चुका है तथा उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी दबाव के चलते निष्पक्ष न्याय नही करेगा। निष्पक्ष न्याय का प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। इस कारण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरिम किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वाद पत्र मय स्थगन प्रा0 पत्र को उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जावे।

अप्राथीगण सं 3 लगायत 6, 8 लगायत 10 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्राथीगण सं 3 लगायत 6, 8 लगायत 10 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1, 12 व 13 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। उपखण्ड अधिकारी, बुहाना का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। उपखण्ड अधिकारी, बुहाना प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी राजेश बनाम हरनारायण, मु0न0 144/2021 किस्म मुकदमा दावा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ति व वाद पत्र के साथ सलंग्न प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, मु0न0 189/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 15:51:13 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू